**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 2927**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**दंडित किए गए सीमा सुरक्षा बल के जवान**

**†2927. श्री विशम्भर प्रसाद निषादः**

 **श्रीमती छाया वर्माः**

 **चौधरी सुखराम सिंह यादवः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) गत 3 वर्षों में, सीमा सुरक्षा बल में जवानों द्वारा विभिन्न प्रकार की शिकायतों जैसे कि अधिकारियों के कुत्ते घुमाना, बूट पॉलिश करना व इसी प्रकार की अन्य शिकायतों पर, कितने जवानों को सजा दी गई है और उनकी शिकायतों के निपटारे हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;**

**(ख) गत वर्ष सीमा सुरक्षा बल में जवानों को गुणवत्ता विहीन खाना देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले जवान की बर्खास्तगी का आधार क्या है और क्या व्यवस्था की कमियों को उजागर करने वाले जवान को यह सबक के रूप में दंड दिया गया है; और**

**(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)**

(क): बीएसएफ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उन्हें ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायतों को समयबद्ध ढंग से निपटान करने के लिए बीएसएफ प्रशासन द्वारा एक प्रभावशाली एवं सुदृढ़ शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है। सैन्य टुकड़ियों की हर प्रत्येक शिकायत पर बल के अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाती है।

(ख) और (ग): बीएसएफ से प्राप्त सूचना के अनुसार, जवान के आरोपों, जिसका कथित रूप से खराब गुणवत्ता वाले खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, को कोर्ट आफ इंक्वायरी में निराधार पाया गया। उस पर अनुशासनहीनता के आरोपों तथा बल के अनुशासन एवं सुव्यवस्था के प्रति द्वेषपूर्ण कृत्य आदि के लिए बीएसएफ न्यायालय में अभियोजन चलाया गया। दोषी पाए जाने पर, उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

\*\*\*\*\*